



ABES Institute of Technology

ABESIT/RO/Notices/05/2020-21/02

06TH July 2020

Notice

कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद के कार्यालय पत्रांक 118-22/स0क0/दशमो0 छात्रवृत्ति/आधार/2020-21 दिनांक 24.06.2020 (संलग्नक) के द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 से छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र पर आधार नम्बर आनलाइन वैरीफिकेशन के पश्चात सबमिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गये आधार, छात्रा का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त आवेदन पत्र सबमिट किया जा सकेगा। आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अन्तरित होगी। यदि आधार नम्बर से अभ्यर्थी का कोई बैंक खाता संख्या लिंक नहीं है तो छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार सम्भव नहीं हो सकेगा।

छात्र/छात्राओं के स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

1. सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
2. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है वे आधार नम्बर को अपने मोबाईल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंको में खुले बैंक खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिए।
3. हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता-पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता-पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिए।
4. हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए।
5. आधार कार्ड में लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लेना चाहिए।

Registrar

C. C. to:-

- Hon'ble Chairman Sir/ Advisor Sir (e-mail),
- Director Sir (e-mail),
- Head – Deptt. of CSE/IT/ECE/ME/CE/Applied Science (e-mail),
- Dr. Rakesh Singh Tomar, Head – Library (e-mail),
- Mr. Sachin Sharma, Head – Accounts Department (e-mail),
- Mr. Ravinder Yadav – Head Service Deptt. (e-mail)
- Warden – Boys' Hostel,
- Warden – Girls' Hostel,
- Examinations Cell,
- Notice Board – ABESIT & Hostel (Boys' & Girls'),
- Records Room (**R.O.-05**),
- ABESIT web-site.

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक 118-22 / स0क0 / दशमो0 छात्रवृत्ति / आधार / 2020-21

दिनांक 24-6-2020

समस्त तकनीकी / मेडिकल / पैरामैडिकल / नर्सिंग / पॉलीटेक्निक /
आई0टी0आई0 / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय
जनपद- गाजियाबाद।

विषय:- छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं0 सी-346 / स0क0 / शिक्षा-अ / 3 / 96 / 2020-21 दिनांक 17.06.2020 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में संस्थानों को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है जोकि बिन्दुवार निम्नवत् है:-

1. भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आनलाईन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता / पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आनलाईन किया जायेगा। यदि उक्त डाटा का मिलान होता है तभी छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से अग्रसारित होगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकते हैं जिन्हें शुद्ध कराये जाने की आवश्यकता छात्रों को होगी। इस सम्बन्ध में छात्रों, उनके माता-पिता व शिक्षण संस्थानों को जागरूक किया जाना है ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा है तो उसको सम्बन्धित आधार कार्ड कार्यालय से शुद्ध करा लें।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 से छात्रों के आवेदन पत्र आधार नम्बर आनलाईन वैरीफिकेशन के पश्चात सबमिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आधार आधारित भुगतान की प्रक्रिया भी इस वर्ष से प्रारम्भ की जायेगी। आधार आधारित भुगतान की प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्र / छात्राओं के आधार नम्बर से लिंक / सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि अंतरित की जायेगी। छात्रों का बैंक खाता जिस बैंक में खुला होगा वह पी0एफ0एम0एस0 से मैप होना चाहिए।

3. छात्र / छात्राओं द्वारा भरे गये आधार, छात्र का नाम, पिता / पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट किया जा सकेगा। आधार नम्बर से लिंक / सीडेड बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित होगी। यदि आधार नम्बर से अभ्यर्थी का कोई बैंक खाता लिंक नहीं है तो छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार सम्भव नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना है-

- सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिये, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।

- ii. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध हैं वे आधार नम्बर को अपने मोबाईल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिए।
- iii. हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता-पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता-पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिए।
- iv. हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए।
- v. आधार कार्ड में लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लेना चाहिए।

: आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सभी अपने-अपने संस्थान में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं तक उपरोक्त की जानकारी नोटिस-बोर्ड, ई-मेल अथवा व्हाट्सऐप आदि के माध्यम से पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी पात्र छात्र योजना का लाभ पाने से वंचित न रह सके। यदि कोई भी पात्र छात्र/छात्रा उपरोक्त जानकारी के अभाव में योजना का लाभ पाने से वंचित रहता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान का होगा।


(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पृष्ठांकन सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
3. संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।


जिलाधिकारी
गाजियाबाद।